हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

तृतीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 25

मंगलवार, 28 अगस्त, 2018/6 भाद्रपद,1940 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय: 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न:

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 507 पर श्री बलबीर सिंह वर्मा, सदस्य (प्राधिकृत) ने अनुपूरक प्रश्न पूछे तथा शहरी विकास मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 677 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 678 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 679 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 680 के उत्तर पर श्री नरेन्द्र बरागटा, सदस्य (प्राधिकृत) द्वारा प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 681 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा शहरी विकास मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। शहरी विकास मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री (मुख्य मंत्री द्वारा प्राधिकृत) ने हस्तक्षेप करते हुए स्पष्टीकरण दिया।

तारांकित प्रश्न संख्या 682 व 683 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 684 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 685 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 686 से 701 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) **अतारांकित प्रश्न**:

अतारांकित प्रश्न संख्याः 146 से 152 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री किशन कपूर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप) सहायक नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान (तोल और माप), वर्ग-II(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःएफ.डी.एस.-ए(3)-2/2016 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2018 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्रीमती सरवीन चौधीर, शहरी विकास मंत्री** ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **डॉ0 रामलाल मारकण्डा, कृषि मंत्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, तकनीकी सहायक, वर्ग-II(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःएग्र.ए.-बी.(2)-5/2016 दिनांक 23.04.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.05.2018 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप धारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष** 2018-19) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीं:-

(i) समिति का 14वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 15वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 पर आधारित तथा वित्त विभाग(आधिक्य) से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 16वां मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 पर आधारित तथा वित्त विभाग(आधिक्य) से सम्बन्धित है।

(2) **श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष** 2018-19) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीं:-

(i) समिति का सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 70वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का अष्टम् मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

(आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा 4.2,4.3, 4.4 व 4.5 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है।

(3) **श्री धनी राम शांडिल, सदस्य, कल्याण समिति,(वर्ष** 2018-19) ने समिति का दसवां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को राहत प्रदान करने की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष** 2018-19) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीं:-

(i) समिति का तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सैनिक कल्याण विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है ।

(5) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष** 2018-19) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीं:-

(i) समिति का 8वां मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 28वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि प्राथमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 5वां मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में निहित सिफारिशों पर

सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है।

(6) **श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य, सामान्य विकास समिति, (वर्ष** 2018-19) ने समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(7) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति,(वर्ष** 2018-19),समिति का 7वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. <u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन</u>

श्री (कर्नल) इन्द्र सिंह, सदस्य ने कार्य-सलाहकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किया तथा इसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार ।

5. <u>नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा</u>

श्री मुकेश अग्निहोत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया एवं चर्चा किः-

"प्रदेश की ऊर्जा नीति में किए गए संशोधन पर यह सदन चर्चा करे।"

12.08 **बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।**

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री हर्षवर्धन चौहान

12.40 **बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।**

2. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु

माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री द्वारा चर्चा के उत्तर के बीच में कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने उत्तर के विरोध स्वरूप अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने शुरू किए।

माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने उत्तर जारी रखा।

कांग्रेस विधायक दल की नारेबाजी के प्रतिरोध में सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।

माननीय अध्यक्ष ने विपक्ष को मंत्री महोदय का उत्तर सुनने का आग्रह किया।

12.57 **बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।**

कांग्रेस विधायक दल के बहिर्गमन पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की-

"नियम-63 के अन्तर्गत सदन में चर्चा के लिए उचित समय दिया गया है। जिन दो माननीय सदस्यों ने चर्चा हेतु नोटिस दिए थे, उनको पूरा समय दिया गया। एक माननीय सदस्य को समय-सीमा समाप्त होने के उपरान्त अतिरिक्त समय भी दिया गया। कुल 48 मिनट में तीनों सदस्यों ने माननीय सदन में अपनी बात को रखा है। इसलिए माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनने से पहले ही विपक्ष द्वारा इस प्रकार का एक्शन अनुचित प्रतीत होता है।"

माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने भी कांग्रेस विधायक दल के बहिर्गमन को अनुचित करार दिया।

माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने नियम-63 के अंतर्गत हुई चर्चा पर अपना उत्तर पूरा किया।

सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए स्थगित करने से पूर्व माननीय अध्यक्ष ने सूचित करते हुए कहा-"मैं एक शुभ सूचना देना चाहूँगा कि आज माननीय उद्योग मंत्री, श्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी का जन्म दिन है। हम उनको बहुत-बहुत बधाई देते हैं।"

1.22 **बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए** 2.30 **बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।**

भोजनावकाश के उपरान्त 2.35 **बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ० राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।**

6. **नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव**

श्री अनिरूद्ध सिंह सदस्य ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

"**शिमला शहर की पेयजल समस्या पर यह सदन विचार करे।**"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री विक्रमादित्य सिंह
2. श्री राकेश पठानिया
3. श्री राकेश सिंघा
4. श्री राकेश कुमार
5. श्रीमती आशा कुमारी
6. श्री बलबीर सिंह वर्मा
7. श्री जीत राम कटवाल
8. श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

04.45 **बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार**, 29 **अगस्त**, 2018 **के** 11.00 **बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।**

(डॉ0 राजीव बिन्दल)
अध्यक्ष

(यशपाल शर्मा)
सचिव